हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 2016

संख्या लैज. 6/2016.– दि हरियाणा गौ–सेवा आयोग (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 मार्च, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3

हरियाणा गौ–सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015

हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010,
को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा गौ–सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010, की धारा 4 में,– 2010 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 4 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) में, मद II के नीचे विद्यमान पैरा में, "बारह" शब्द के स्थान पर, "सोलह" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) उप–धारा (2) में, खण्ड (i) तथा (ii) में, "छह" शब्द के स्थान पर, "आठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।